राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1123/2019

श्रीमती ज्योति शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक झुंझुनूं।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, आबूसर, जिला झुंझुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.05.2019
आदेश की दिनांक : 03.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी बी एल शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आदेश दिनांक 02.07.2018 को संशोधित कर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 27.11.2006 से प्रदान किया जावे और उसकी सेवा की गणना उसके प्रथम नियुक्ति की दिनांक 27.11.1997 से की जाकर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा शेष राशि पर ब्याज भुगतान के आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर विधवा/परित्यक्ता कोटे से दिनांक 15.11.1997 को हुई थी और दिनांक 27.11.1997 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी ने कार्यग्रहण पश्चात् बीएड योग्यता दिनांक 21.07.2007 को अर्जित की, जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1997 में हुई थी। अपीलार्थी द्वारा बीएड योग्यता अर्जित करने के लिए विभाग से कई बार अनुमति मांगी परन्तु विभाग ने अनुमति प्रदान नहीं की। इस प्रकार 10 वर्ष पश्चात् उक्त योग्यता अर्जित करने में अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। अपीलार्थी प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि से प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग ने उसकी बीएड योग्यता अर्जित करने की तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का निर्णय

लिया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 26.06.2001 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ जो प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित अध्यापक है उनकी सेवा की गणना प्रारम्भिक नियुक्ति दिनांक से दिया जाऐगा। इसी प्रकार दिनांक 12.04.2002 में भी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही वेतनमान का लाभ दिए जाने का उल्लेख किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा ऐसे कई मामलों में प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के आदेश पारित किए है। इस प्रकार अपीलार्थी भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ करने का अधिकारी है। उक्त लाभ न दिए जाने के संबंध में अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस जारी करवाया और प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आदेश दिनांक 02.07.2018 को संशोधित कर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 27.11.2006 से प्रदान किया जावे और उसकी सेवा की गणना उसके प्रथम नियुक्ति की दिनांक 27.11.1997 से की जाकर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा शेष राशि पर ब्याज भुगतान के आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर पूरजोर विरोध करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी ने जो अनुतोष चाहा है वह नियमों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.06.2009 में यह कहा गया है कि एसीपी का लाभ कार्मिक के नियमित नियुक्ति दिनांक से दिया जावे। इस प्रकार के समान प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डीबी स्पेशल अपील संख्या 589/15 में आदेश दिनांक 03.07.2017 को पारित करते हुए यह निर्देश दिए है कि नियमित नियुक्ति दिनांक से उसकी सेवा की गणना करते हुए उसे चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे। उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी भी बीएड योग्यता अर्जित करने की तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी बीएड की अर्हता वर्ष 2007 में अर्जित की और इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 21.07.2007 से नियमित मानते हुए उसे चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है, जो नियमानुसार एवं विधि सम्मत है। उनका यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 20.06.2018 (अनुलग्नक–आर/2) में यह स्पष्ट रूप से निम्न लिखित उल्लेखित किया गया हैः–

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम–17 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है–

> *"Provided that the widow/divorced woman who have been given appointment on the post of teacher for senior teacher after relexing the require qualification of BSTC or BEd shall be regularized from the date they acquire the required qualification of BSTC or BEd at the case may be, they shall also be eligible for grant of study leave for acquiring the qualification of BSTC or BEd."*

इस प्रकार विभाग को उक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। अपीलार्थी को भी चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रशिक्षण योग्यता BEd अर्जित उपरान्त ही दिया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर विधवा/परित्यक्ता कोटे से दिनांक 15.11.1997 को हुई और बीएड योग्यता दिनांक 21.07.2007 को उसके द्वारा अर्जित की गई।

प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.06.2018 (अनुलग्नक–आर/2) में स्पष्ट रूप से निम्न लिखित उल्लेख किया गया ह ै:–

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम–17 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है–

> *"Provided that the widow/divorced woman who have been given appointment on the post of teacher for senior teacher after relexing the require qualification of BSTC or BEd shall be regularized from the date they acquire the required qualification of BSTC or BEd at the case may be, they shall also be eligible for grant of study leave for acquiring the qualification of BSTC or BEd."*

इस प्रकार विभाग को उक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। अपीलार्थी को भी चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रशिक्षण योग्यता BEd अर्जित उपरान्त ही दिया गया है।

जहां तक अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ उसके प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी की नियुक्ति विधवा/परित्यक्ता कोटे के विरूद्ध की गई है और प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश दिनांक 20.06.2018 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को बीएड/बीएसटीसी प्रशिक्षण योग्यता अर्जित उपरान्त ही उनको चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाऐगा। अपीलार्थी ने बीएड प्रशिक्षण योग्यता वर्ष 2007 में अर्जित की है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी वर्ष 2007 से ही चयनित वेतनमान

लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 03.07.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य